रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2005.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 14 जुलाई, 2005/23 आषाढ़, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जुलाई, 2005

संख्या एल० एल० आर०-डी०(6)-22/2005-लैज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12-7-2005 को प्रख्यापित

1392-राजपत्र/2005-14-7-2005—1,518. (1855) मूल्य : एक रुपया ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का अध्यादेश संख्यांक 8) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

2005 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 8.

# हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 है। संक्षिप्त नाम।

2005 का 12. 2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 62 की उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :–– धारा 62 का संशोधन।

"परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी व्यौहारी को, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् रजिस्ट्रीकृत हो, अधिनियम के अधीन विर्निमित माल के विक्रय पर उद्ग्रहणीय कर की किसी भी प्रकार की रियायत का उपभोग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यदि ऐसी रियायत की घोषणा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई हो :

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन कर में छूट की रियायत के बदले में, केवल कर के आस्थगित संदाय की प्रसुविधा, ऐसी शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञात कर सकेगी जैसी यह उसमें विनिर्दिष्ट करे।"।

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

---

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमला :

तारीख..............., 2005.

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

H. P. Ordinance No. 8 of 2005.

# THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2005

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India.

An Ordidance to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title. 1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2005.

Amendment of section 62. 2. In section 62 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, after sub-section (5), the following provisos shall be added, namely :— 12 of 2005.

"Provided that the State Government may, by notification, allow any dealer, whether registered before or after the commencement of this Act to avail of any incentive of tax leviable on the sale of manufactured goods under the Act, if such incentive has been declared by the State Government before the commencement of this Act :

Provided further that the State Government may by notification, in lieu of the incentive of exemption from tax under the preceding proviso, allow only the facility of making deferred payment of tax, subject to such conditions as it may specify therein.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित